



सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

प्रलिस के लयि:

[सशस्त्र बल \(वशेष शक्तियाँ\) अधिनियम, 1958](#), [भारत छोडो आंदोलन](#), [अशांत कषेत्र](#), [नागा हलिस](#), संसद, केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बल, अशांत कषेत्र, अशांत कषेत्र (वशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976,

मेन्स के लयि:

AFSPA, पक्ष में तरक और वपिकष में तरक,

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्यो?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हसिसों में [सशस्त्र बल \(वशेष शक्तियाँ\) अधिनियम, 1958](#) को अगले छह माह के लयि बढा दया है ।

- नगालैंड के आठ ज़लियों और 21 पुलसि स्टेशनो में AFSPA को अगले छह माह के लयि बढा दया गया है ।
- यह अरुणाचल प्रदेश के वशिषिट कषेत्रों में भी प्रभावी होगा ।

AFSPA क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- बरटिशि औपनवशिकि सरकार ने [भारत छोडो आंदोलन](#) को शांत करने के लयि 15 अगस्त, 1942 को सशस्त्र बल वशेष अधिकार अधयादेश लागू कया था ।
- यह चार अधयादेशों की बुनयाद थी, जसिमें वभाजन-परेरति आंतरकिक सुरक्षा चुनौतयियों से नपिटने के लयि वर्ष 1947 में लागू कयि गए "असम अशांत कषेत्रों" के लयि एक अधयादेश भी शामिल था ।
- सशस्त्र बल (असम और मणपुर) वशेष अधिकार अधिनियम, 1958, ने नागा हलिस और आसपास के कषेत्रों में वदिरुह से नपिटने के लयि असम अशांत कषेत्र अधिनियम, 1955 का पालन कया ।
- व्यापक अनुप्रयोग हेतु अधिनियम को AFSPA द्वारा प्रतसिथापति कया गया था । जम्मू और कश्मीर के लयि वशेष रूप से एक समान अधिनियम वर्ष 1990 में अधिनियमति कया गया था ।

■ परचिय:

- सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) वधियक [संसद](#) के दोनों सदनों द्वारा पारति कया गया था और इसे 11 सतिंबर, 1958 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदति कया गया था । इसे सशस्त्र बल वशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA), 1958 के रूप में जाना जाता है ।
- यह अधिनियम दशकों पहले [उत्तर-पूरवी राज्यों](#) में बढती हसिा के संदरभ में लागू हुआ था, जसिं नयितरति करना राज्य सरकारों के लयि कठनि था ।
- AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत कषेत्रों" में तैनात [केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बलों](#) को कानून के उललंघन करने वाले कसिी भी व्यकृति को मारने, गरिफ्तारी करने और वॉरंट के बनिा कसिी भी परसिर की तलाशी लेने के लयि कानून के तहत बेलगाम शकृतिप्रदान की गई है और केंद्र सरकार की सवीकृति के बनिा अभयिोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा सुनशिचति करता है ।
- राज्य और केंद्र सरकार AFSPA के संबंघ में अधिसूचना जारी कर सकते हैं । [अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड राज्यों](#) के लयि गृह मंत्रालय समय-समय पर "अशांत कषेत्र" की अधिसूचना जारी करता है ।

AFSPA के अंरतगत वर्णति अशांत कषेत्र क्या हैं?

- अशांत कषेत्र वह है जसिं AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषति कया जाता है । इसे उन स्थानों पर लागू कया जा सकता है जहाँ

नागरिक शक्ति की सहायता के लिये सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।

- अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।

- **वभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या विवादों के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है।**
- **केंद्र सरकार, या राज्य के राज्यपाल या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।**
- **अशांत क्षेत्र (वर्षिष न्यायालय) अधिनियम, 1976** के अनुसार, एक बार 'अशांत' घोषित होने के बाद, क्षेत्र को लगातार तीन महीने की अवधि के लिये अशांत बनाए रखा जाता है। राज्य सरकार यह सुझाव दे सकती है कि राज्य में इस अधिनियम की आवश्यकता है या नहीं।
 - वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल **नागालैंड** और **अरुणाचल प्रदेश** के लिये AFSPA का विस्तार करने के लिये समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।

AFSPA के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

■ पक्ष में तर्क:

- **सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना:** AFSPA को उन क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये आवश्यक माना जाता है जहाँ इसे लागू किया जाता है।
 - सशस्त्र समूहों और विद्रोही गतिविधियों की उपस्थिति सार्वजनिक सुरक्षा और स्थिरता के लिये लगातार खतरा बनी हुई है।
 - AFSPA द्वारा प्रदान की गई कानूनी रूपरेखा के बिना, सुरक्षा बलों के लिये इन खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है।
- **सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना:** AFSPA सुरक्षा बलों को उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
 - यह उन्हें अशांत क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने, गरिफ्तारियाँ करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करता है।
 - सुरक्षा बलों को जटिल सुरक्षा चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने में सक्षम बनाने के लिये यह सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है।
- **कर्मियों के लिये कानूनी सुरक्षा:** AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
 - जब वे चुनौतीपूर्ण और अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ये सुरक्षा उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है।
 - ऐसे कानूनी सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं कि सुरक्षाकर्मी अनुचित कानूनी परिणामों के भय के बिना अपना कार्य कर सकें।
- **मनोबल बढ़ाना:** AFSPA द्वारा प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा सशस्त्र बल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती है।
 - यह जानते हुए कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिये वे कानूनी रूप से संरक्षित हैं, चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिये उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं।
 - अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता और दक्षता बनाए रखने के लिये यह मनोबल बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

■ विपक्ष में तर्क:

- **राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन:** **AFSPA की धारा 3** केंद्र सरकार को संबंधित राज्य की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में नामित करने का अधिकार देती है।
 - इससे राज्यों की स्वायत्तता कमजोर होती है और केंद्र सरकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।
- **बल का अत्यधिक उपयोग:** AFSPA की धारा 4 अधिकृत अधिकारियों को वर्धित शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसमें व्यक्तियों के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों का उपयोग भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित मृत्यु हो सकती है।
 - यह प्रावधान सुरक्षा बलों द्वारा बल के अत्यधिक और असंगत उपयोग के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।
- **नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन:** धारा 4 अधिकारियों को बिना वारंट के गरिफ्तार करने और बिना किसी वारंट के परसिर को ज़ब्त करने तथा तलाशी लेने की शक्ति भी देती है।
 - इससे व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि यह मनमाने ढंग से हरिसत और तलाशी के विरुद्ध मानक कानूनी प्रक्रियाओं एवं सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है।
- **जवाबदेही का अभाव:** AFSPA की धारा 7 के तहत सुरक्षा बलों के किसी सदस्य के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये केंद्रीय या राज्य अधिकारियों से पूर्व कार्यकारी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
 - यह प्रावधान सुरक्षा बलों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि यह उन्हें दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देता है।
- **दुरुपयोग के साक्ष्य:** वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नयुक्त हेगड़े आयोग ने पाया कि जिन छह मामलों की उसने जाँच की, उनमें सभी सात मौतें न्यायेतर नष्पिादन थीं।
 - इसके अतिरिक्त, इसने मणपुर में सुरक्षा बलों द्वारा AFSPA के व्यापक दुरुपयोग को उजागर किया।

सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश क्या हैं?

- **वधि और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के साथ इसके अंतरसंबंध के कारण AFSPA की संवैधानिकता के संबंध में प्रश्न उठे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 में नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अपने नरिणय में AFSPA की संवैधानिकता की पुष्टि की।**

- इस ऐतिहासिक नरिणय में, न्यायालय वशिष्ट नषिकर्षों पर पहुँचा, जनिमें शामिल हैं:
 - केंद्र सरकार के पास **स्वतः संज्ञान (Suo-Motto Declaration) घोषणा** का अधिकार है, फरि भी ऐसी घोषणा जारी करने से पूर्व **केंद्र सरकार** के लिये **राज्य सरकार से परामर्श** करना बेहतर होता है।
 - AFSPA कसी कषेत्र को 'अशांत कषेत्र' के रूप में नामति करने का **अप्रतबिधति अधिकार नहीं देता** है।
 - घोषणा की एक नशिचति समय-सीमा होनी चाहिये और उसकी स्थति का नयिमति आकलन होना चाहिये। **छह महीने** बीत जाने के बाद घोषणा की समीक्षा ज़रूरी है।
 - "AFSPA द्वारा दी गई शक्तियों को लागू करते समय, अधिकृत अधिकारी को सफल संचालन के लिये आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग करना चाहिये, और साथ ही **सेना "क्या करे व क्या न करे" में उल्लिखित दिशा-नरिदेशों का कठोरता से पालन** करना चाहिये।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिधारति कया कि अधिनियम संवधान का उल्लंघन नहीं करता है, साथ हीधारा 4 व 5 के अंतगत दी गई शक्तियाँ न तो मनमानी हैं और न ही अनुचति हैं।

आगे की राह

- **जीवन रेडडी समति की अनुशंसाएँ:**
 - नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पीजीवन रेडडी की अध्यक्षता में **पांच सदस्यीय समति** नियुक्त की।
 - समति की अनुशंसाएँ:
 - AFSPA को नरिस्त कया जाना चाहिये एवं **गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** में उचति प्रावधान शामिल कयि जाने चाहिये।
 - सशस्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से नरिदषिट करने हेतु **गैरकानूनी गतविधियाँ अधिनियम को संशोधति** कया जाना चाहिये और साथ ही प्रत्येक ज़िले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शकियत कक्ष भी स्थापति कयि जाने चाहिये।
- **दूसरी ARC अनुशंसाएँ:**
 - सार्वजनिक व्यवस्था पर **दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)** की 5वीं रिपोर्ट में भी **AFSPA को नरिस्त करने की सफिरशि** की गई है। हालाँकि इन अनुशंसाओं को लागू नहीं कया गया है।
- **संतोष हेगडे आयोग की अनुशंसाएँ:**
 - अधिनियम को अधिक मानवीय तथा सुरक्षा बलों को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता का आकलन करने हेतु **प्रति छह माह में AFSPA की समीक्षा** की जानी चाहिये।
 - समति ने सुझाव दया कि केवल AFSPA पर नरिभर रहने के स्थान पर आतंकवाद से नपिटने के लिये गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम में उचति संशोधन कया जा सकता है।
 - यह भी सफिरशि की गई थी कि सशस्त्र बलों को "अशांत कषेत्रों" में भी अपने कर्तव्यों के नरिवहन के दौरान की गई ज्यादतियों के आधार पर जाँच से छूट नहीं दी जानी चाहिये।

दृष्टिभेनस प्रश्न:

प्रश्न. सुरक्षा अभयानों, मानवाधिकारों एवं शासन पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, AFSPA की नरितरता के पक्ष और वपिक्ष में तर्कों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. मानवाधिकार सक्रयितावादी लगातार इस वचिर को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (वशिष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSP) एक क्रूर अधिनियम है, जससे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रयितावादी वरिध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त वचिर के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015)